रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022023-243545
CG-DL-E-09022023-243545

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 9, 2023/माघ 20, 1944
No. 598]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 9, 2023/MAGHA 20, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फ़रवरी, 2023

का.आ. 627(अ).—औषधि नियम, 1945 के नियम 44 के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1520(अ), दिनांक 7 अप्रैल, 2021 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतदद्वारा -

i. डॉ. रघुराम रेड्डी आदिडाला, एसोसिएट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट; और

ii. श्री. के. नितिन कुमार, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक,

को केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद में, नीचे उल्लिखित औषधियों की श्रेणियों को छोड़कर, औषधियों की सभी श्रेणियों के संबंध में पूरे भारत के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करती है , अर्थात्: -

1. सीरा;
2. इंजेक्शन के लिए सीरम प्रोटीन का सोल्यूशन;
3. टीके (पैरेंट्रल और ओरल);
4. टॉक्सिन;

5. एंटीजन;
6. एंटी-टॉक्सिन;
7. स्टर्लाइज्ड सर्जिकल लिगचर और स्टर्लाइज्ड सर्जिकल टांके;
8. बैक्टीरियोफेज;
9. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एंटी-सीरा;
10. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए टीके;
11. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए टॉक्सोइड्स;
12. पशु चिकित्सा उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
13. यौन रोग अनुसंधान प्रयोगशाला (वीडीआरएल) एंटीजन;
14. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (एचआईवी) एंटीबॉडी के नैदानिक परीक्षण के लिए घटकों सहित मानव रक्त और मानव रक्त उत्पाद;
15. ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट और डायग्नोस्टिक किट; और
16. कंडोम।

[सं. X.11014/11/2020-DR]

राजीव वाधवान, सलाहकार (लागत)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, 8th the February, 2023

S.O. 627(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with rule 44 of the Drugs Rules, 1945, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number S.O. 1520(E), dated the 7th April, 2021, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints**—**

i. Dr. Raghuram Reddy Adidala, Associate Pharmaceutical Chemist; and

ii. Shri. K. Nitin Kumar, Junior Scientific Assistant,

at the Central Drugs Testing Laboratory, Hyderabad, to be Government Analysts for the whole of India in respect of all classes of drugs, except the classes of drugs mentioned below, namely:**—**

1. Sera;
2. Solution of Serum Proteins intended for injection;
3. Vaccines (Parenteral and Oral);
4. Toxins;
5. Antigens;
6. Anti-toxins;
7. Sterilized Surgical Ligature and Sterilized Surgical Sutures;
8. Bacteriophages;

9. Anti-sera for veterinary use;
10. Vaccines for veterinary use;
11. Toxoids for veterinary use;
12. Diagnostic Antigens for veterinary use;
13. Venereal disease research laboratory (VDRL) Antigen;
14. Human Blood and Human Blood Products including components, to test for freedom for Human Immunodeficiency Virus (HIV) antibodies;
15. Blood Grouping reagents and diagnostics kits for Human Immunodeficiency Virus, Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C Virus; and
16. Condoms.

[No. X.11014/11/2020-DR]

RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA